दूरभाष नं0 01792-275025
फैक्स न0 01792-275425

संख्या-सी0बी0एस0/1/6/- 166
छावनी परिषद्,
सुबाथू - 173206,
जिला-सोलन, (हि0प्र0),

15 मई, 2019।

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अद्योहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 28.05.20190 को सांय 03:30 बजे छावनी परिषद् कार्यालय, सुबाथू में डाकखाना सुबाथू के नजदीक, नवनिर्मित (क्योसक) दुकान संख्या-2 की पाँच वर्षो के लिए (दिनांक 01.06.2019 से 31.05.2024 तक) नीलाम किया जायेगा।

शर्तें

1. इच्छुक व्यक्ति को दुकान की बोली देने से पहले 1000/- रूप्ये पंजीकरण शुल्क तथा 5000/-रूपये की नकद राशि धरोहर राशि के रूप में इस कार्यालय में जमा करवानी होगी। धरोहर राशि उस व्यक्ति को वापिस कर दी जायेगी जो बोली में असफल रहेगा तथा जो व्यक्ति बोली में सफल होगा उसकी बोली की राशि में उक्त राशि का समायोजन कर लिया जायेगा लेकिन यह समायोजन केवल लीज़ रैन्ट में ही किया जायेगा।

2. अधिकतम बोली दाता छावनी परिषद् सुबाथू को लीज़ रैन्ट का भुगतान निम्नलिखित ढंग से करेगा:-

प्रथम वर्ष 01.06.2019 से 31.05.2020 तक	:	लीज़ रैन्ट की पूरी राशि का भुगतान बोली के छूटते ही नकद/ ड्राफ्ट के रूप में जमा करवाना अनिवार्य होगा।
द्वितीय वर्ष 01.06.2020 से 31.05.2021 तक	:	लीज़ रैन्ट की पूरी राशि का भुगतान 15.06.2020 को या इससे पहले जमा करवाना होगा।
तृतीय वर्ष 01.06.2021 से 31.05.2022 तक	:	लीज़ रैन्ट की पूरी राशि का भुगतान 15.06.2021 को या इससे पहले जमा करवाना होगा।

कृ0पृ0उ0...2...

चतुर्थ वर्ष 01.06.2022 से 31.05.2023 तक	-	लीज़ रैन्ट की पूरी राशि का भुगतान 15.06.2022 को या इससे पहले जमा करवाना होगा।
पॉचवा वर्ष 01.06.2023 से 31.05.2024 तक	-	लीज़ रैन्ट की पूरी राशि का भुगतान 15.06.2023 को या इससे पहले जमा करवाना होगा।

3. अधिकतम बोली दाता को बोली की पूरी राशि तथा कुल राशि का 20% (बीस प्रतिशत) भाग जमानत के रूप में बोली के छूटते ही जमा करवाना होगा अन्यथा उसकी उपरोक्त पाँच हजार रूपये की धरोहर राशि अद्योहस्ताक्षरी द्वारा जब्त कर ली जायेगी ।यह जमानत की राशि तब तक वापिस नहीं की जायेगी जब तक यह लीज़ समाप्त नहीं हो जाती। जमानत की राशि को 100/- रूपये की निकटतम राशि में स्वीकार किया जायेगा। यदि अधिकतम बोली स्वीकार नहीं की जाती है तो अधिकतम बोली दाता द्वारा बोली छूटने पर जमा करवाई गई समस्त राशि बिना किसी ब्याज के वापिस कर दी जायेगी।

4. अधिकतम बोली अद्योहस्ताक्षरी द्वारा स्वीकार की जायेगी जोकि उस समय तक मान्य नहीं होगी जब तक छावनी परिषद् सुबाथू द्वारा इसका पुष्टिकरण नहीं किया जाता। छावनी परिषद्, सुबाथू को यह पूर्ण अधिकार है कि वह बिना कारण बताये किसी की भी बोली को अस्वीकार कर सकता है उस स्थिति में अधिकतम बोली दाता द्वारा जमा करवाई गई समस्त राशि उसे बिना किसी ब्याज के वापिस कर दी जायेगी।

5. अधिकतम बोली दाता को छावनी परिषद्, सुबाथू के साथ उपयुक्त कीमत का नॉन-जूडिशियल स्टाम्प पेपर जोकि उसी व्यक्ति के नाम का हो, अनुबन्ध (एग्रीमैन्ट) करना होगा। यह अनुबन्ध उसे उसकी बोली की स्वीकृति की पुष्टि की सूचना के 10 दिनों के अन्दर-अन्दर करना होगा।

6. अधिकतम बोलीदाता दुकान का उपयोग ऐसे कार्य के लिए नहीं करेगा जो सामाजिक एवं कानूनी दृष्टि से आपत्तिजनक हो अन्यथा बोली रद्द करके छावनी परिषद् कब्जा वापिस लेने का हकदार होगा।

7. इस सार्वजनिक सूचना पत्र में वर्णित शर्तें अनुबन्ध का भाग मानी जायेगी।

8. अधिकतम बोली दाता उपरोक्त दुकान/स्टाल में अपने हितों को किसी अन्य व्यक्ति को पूर्णत: या अंशत उप पट्टे पर देने का हकदार नहीं है चाहे वह उप-पट्टे के रूप में हो या अन्यथा।

क्र0पृ0...3...

9. अधिकतम बोली दाता को दुकान/स्टाल और इसके आस-पास की जगह को साफ और स्वच्छ रखेगा ताकि यात्रियों और आस-पास के लोगों को कोई असुविधा न हों । वह छावनी परिषद् के सभी नियमों तथा उप-नियमों का पालन करेगा, उसे सभी प्रकार के करों, लाईसैंस फीस जोकि किसी विधिसंगत प्राधिकार द्वारा लगाए गए हों, की अदायगी करनी होगी ।

10. अधिकतम बोली दाता उपरोक्त दुकान/स्टाल में अद्योहस्ताक्षरी की लिखित आज्ञा के बिना कोई निर्माण नहीं करेगा ।

11. कोई भी व्यक्ति जो छावनी परिषद्, सुबाथू का ऋणी है को बोली देने का कोई अधिकार नहीं होगा ।

12. मुख्य अधिशासी अधिकारी, सुबाथू किसी की भी बोली को अस्वीकार कर सकता है यदि व बोली कम समझी जाती है उस स्थिति में बोलीदाता द्वारा बोली छूटने पर जमा करवाई गई पूरी राशि को बिना किसी ब्याज के वापिस कर दिया जायेगा ।

13. (क) यदि बोली दाता बोली देने के पश्चात् बोली की राशि जमा नहीं करवाता है तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी ।

(ख) यदि सफल बोली दाता नीलामी की शर्तों से पीछे हटता है या अपने द्वारा दी गई अधिकतम बोली को किसी भी समय अस्वीकार करता है या दुकान/स्टाल को बीच में छोड़ता है तो उसकी जमानत की पूरी राशि तथा उस वर्ष के लिए दी गई लीज़ रैन्ट की पुरी राशि जब्त कर ली जायेगी ।

14. यदि सफल बोली दाता बोली देकर बोली की राशि जमा नहीं करवाता है तो वह भविष्य में छावनी परिषद कार्यालय द्वारा करवाई जाने वाली किसी भी नीलामी में हिस्सा/भाग लेने का हकदार नहीं होगा ।

15. यदि किन्ही कारणों से छावनी परिषद् सुबाथू को इन दुकान/स्टाल की आवश्यकता पड़ती है तो बोर्ड किसी भी समय 15 दिनों का नोटिस देकर इस दुकान को खाली करवा सकता है और लीज को समाप्त कर सकता है, जिसके लिए कोई भी उच्चतम बोली दाता किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या दुकान /स्टाल का हकदार नहीं होगा ।

क्र0पृ0...4...

16. पट्टेदार वचनबद्ध है कि वह 31.05.2024 को उक्त दुकान का शान्तिपूर्वक कब्जा छावनी परिषद् को दे देगा, अन्यथा वह उस समय तक 1000/-रूपये प्रतिदिन की दर से क्षतिपूर्ति के लिए उतरदायी होगा जब तक कि वह उक्त दुकान अवैध रूप से अपने कब्जे में रखता है ।

17. उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त यदि कोई अन्य शर्त होगी तो वह नीलामी शुरू होने से पहले सुना दी जायेगी ।

मुख्य अधिशासी अधिकारी,
छावनी परिषद्, सुबाथू

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य अधिशासी अधिकारी,
कसौली/डगशाई/जुतोग । - सूचनार्थ तथा अपने से समबन्धित छावनी क्षेत्र में मुनादी करवाने हेतु ।

2. सचिव, नगरपरिषद्,
सोलन/नालागढ़ व परवाणु, - सूचनार्थ एवं मुनादी करवाने हेतु ।
जिला-सोलन, हि0प्र0

3. प्रधान, ग्राम पंचायत,
धर्मपुर/कक्ड़हट्टी, शड़याणा और जाड़ला । - -तदैव-

4. सफाई निरीक्षक,
छावनी परिषद्, सुबाथू । - समस्त छावनी क्षेत्र में मुनादी करवाने हेतु ।

5. समस्त निर्वाचित सदस्य,
छावनी परिषद्, सुबाथू । - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

6. समस्त सूचना पट्ट (कार्यालय सूचना पट्ट सहित)
7. नीलामी रजिस्टर ।
8. केस फाईल संख्या-सी0बी0एस0/1/6/-